(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–674–दो / 2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–03–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–681 / ए / 1994–95

.....

1– कैलाश सिंह आ0 श्री बृजवासी सिंह सूर्यवंशी

2– इन्द्रपाल सिंह आ0 श्री बृजवासी सिंह सूर्यवंशी

निवासीगण–मौजा अवेर तहसील रामपुर बघेलान,

जिला–सतना, म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामानंद सिंह आ0 श्री रामावतार सिंह

2– रामानुज सिंह आ0 श्री रामावतार सिंह

3– बैकुण्ठ सिंह आ0 श्री रामसुर्दशन सिंह

निवासीगण– मौजा अवेर तहसील रामपुर बघेलान,

जिला–सतना, म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-07-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने नायब तहसीलदार वृत्त कोटर तहसील रामपुर बघेलना, जिला–सतना के न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम उचेहरा की प्रश्नाधीन आराजी नं0 557 रकबा 4.07 एकड़ की भूमि पर पुस्तैनी कब्जा दखल है। वर्ष 1961–62 से भूमिस्वामी दर्ज था, किन्तु बाद के वर्षो नाम छूट गया । खसरा में सुधार किये जाने का निवेदन किया गया । जिस पर विचारोपरांत नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण का आवेदन पत्र दिनांक 08.04.1992 को स्वीकार किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बघेलान के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहां अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 46/अपील/94–95 में पारित आदेश दिनांक 09.05.1995 से तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त रीवा ने दिनांक 04.03.2006 से अनुविभागीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.1995 को निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.1992 को स्थिर रखा है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया गया । उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1958–59 के जमाबन्दी में भूमिस्वामी के रूप में रामावतार और बैकुण्ठ प्रसाद का नाम तथा खसरा क्रमांक –2 में रामसुर्दशन का नाम दर्ज है। वर्ष 1963–64 से 1967–68 के खसरा पंचशाला में भूमिस्वामी के रूप में आवेदकगण का नाम किस प्रकार अभिलेख में अंकित किया गया था । किस अधिकारी के आदेश से अंकित किया गया, संबंधित कोई टीप अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के नाम

की जो प्रविष्टि है वह अनाधिकृत रूप से दर्ज नहीं की गई है। अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में त्रुटी सुधार संबंधित आवेदन पेश करने पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 08.04.1992 से अनावेदकगण का आवेदन स्वीकार कर उनके नाम पूर्ववत दर्ज करने के आदेश दिये है जो उचित प्रतीत होते है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र इस आधार पर अपील स्वीकार करने में त्रुटी की है कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत अनावेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर आवेदन प्रस्तुत किया था और आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया, इसलिये तहसील न्यायालय का अवैधानिक आदेश को निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जहां किसी व्यक्ति को भूमि में स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ हो और बिना राजस्व अधिकारी के त्रुटीपूर्ण प्रविष्टी की गई हो तब उस व्यक्ति को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र तकनिकी आधार पर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है जो विधिसंगत नहीं कहा जा सकता । इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के त्रुटी सुधार संबंधी आदेश को यथावत रखा है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 04-03-2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,